

आदेश न इजलारा डॉ. जितेन्द्र कुडार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला डजिस्ट्रेट, जयपुर
डुरकरण संख्या : 483/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिडिटेड शाखा कार्यालय तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. डिलडिंग, डालनीड नगर,
जयपुर।

डुरार्थी वित्तीय संस्था

डुरनाड

1. निर्वान कन्स्ट्रक्शन कडुडनी
2. डहेन्द्र सिंह निर्वान

डुरता :- 30-ए, जगदीश हीराडुरा, अजडेर रोड, जयपुर।

अडुरार्थीगण
ःणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

श्री उडेश कुडार जांगिड अधिवक्ता डुरार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

डुरिनांक 08.09.2025

1. संक्षेड डें डुरकरण के तथुड इस डुरकार है कि डुरार्थी वित्तीय संस्था ने अडुरार्थी ःणी को डुरिनांक 10.05.2023 को डुरनडुरगतान हेतु जडानत डुरतिडुरी के रूड डें अडुरार्थी निर्वान कन्स्ट्रक्शन कडुडनी के स्वाडित्व की वल सडुडतति UP92AT6755 इंजन नडुडर 6BTAA6.7F32D64285220 डुरैसीस नडुडर MAT566018P3D11477 डुरॉडी टाईड डुरिडल SIGNA 4830.TKBSVI10X229BOX को हाईडुरोथिकेट रख कर राशि 49,70,000/-रूडडे की ःण सुविधा उपलडुड कराई गई थी। अडुरार्थी ःणी द्वारा डुरार्थी वित्तीय संस्था को ःण डुरगतान करने डें असफल रहने डुर अधिनियड की धारा 13(2) के अन्तर्गत अडुरार्थी ःणी को डुरिनांक 02.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गडे। नोटिस जारी किये जाने के वावजूड ःण राशि डुड डुडज डुरगतान नहीं करने डुर डुरार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत डुरार्थना डुर डुरस्तुत कर अपने डुरास हाईडुरोथिकेट सडुडतति का डुरौतिक रूड से कडुडा डुराडुड करने हेतु आवश्यक डुरलिस इडुडदाड उपलडुड का अनुरोध कियुड है।
2. डुरार्थना डुर डुरस्तुत होने डुर डुरज रजिस्टर कियुड गडु। वित्तीय संस्था के सुडुडुड्य अधिवक्ता को गौर से सुना गडु। डुरावाली का डुरलीडुराति अवलोकन कियुड गडु।
3. डुरावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डुरार्थी बैंक ने अडुरार्थीगणों को कुल राशि 49,70,000/-रूडडे का ःण डुरिडुड है, जिसकी डुरतिडुरी जडानत के रूड डें अडुरार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सडुडतति डुरंधक के रूड डें डुरार्थी वित्तीय संस्था के डुरास गिरवी रखी है। अडुरार्थीगण का ःण खता एन डुरी ए घुडषित होने से नियडानुसार ःण वसूली के लिए डुरकाडुड ःण राशि डुड डुडज कुल राशि 21,23,739.66/- रूडडे जडु कराने हेतु अडुरार्थीगण को डुरिनांक 02.01.2025 को अधिनियड की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी कियुड गडु। अडुरार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जडुडाड नहीं डुरिडुड गडु और अडुरार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को डुरकाडुड ःण राशि का डुरगतान भी नहीं कियुड गडु है। डुरकरण डें वसूली डुडुड डुरकाडुड राशि एक लाख रूडडे से अधिक होने एवं 20 डुरतिशत से अधिक राशि डुरकाडुड होने से अधिनियड के डुरावधानों के तहत वित्तीय संस्था हाईडुरोथिकेट रखी गई सडुडतति का कडुडा डुराडुड करने का अधिकारी है एवं अधिनियड की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के डुरास डें हाईडुरोथिकेट रखी गई सडुडतति का डुरौतिक

जिला डजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **निर्वान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी** के स्वामित्व की हाईपोथिकेटेड चल सम्पत्ति UP92AT6755 इंजन नम्बर 6BTAA6.7F32D64285220 **चैसीस नम्बर MAT566018P3D11477 बॉडी टाईप TIPPER मॉडल SIGNA 4830.TKBSV110X229BOX** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक **08.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर
3548-49
24/9/25